UPSI120001382020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, बिसवाँ- सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी (सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-17/2020

सेवाराम बनाम बच्चेलाल आदि।

दिनाँक 10.08.2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग2व 31ग2

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 6ग2 पर सुनवाई हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 6ग2 वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण ने अपनी आपत्ति 31ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल किया है।

प्रार्थी/वादी सेवाराम की ओर से प्रार्थना पत्र 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा०दी० मय शपथ पत्र 7ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी एक सीधा सादा शान्ति प्रिय व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण सरकश एवं आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 2 का सगा ससुर है जिसके ऊपर उसके पिता की हत्या का मुकदमा चल चुका है। सभी प्रतिवादी एक दूसरे के मेली मददगार हैं। प्रश्नगत वसीयत से सम्बन्धित वादीय भूमि गाटा संख्या 759/0.672 हे०, 575/0.466 हे०, 597/0.312 हे०, 338/0.384 हे०, का सम्पूर्ण अंश एवं 369/1.084 का 1/2 अंश, 182/1.364 का 1/2 अंश, 180/0.178 हे० का 1/2, 457/1308/0.045 का 1/3 एवं 462/0.057 हे० का 1/2 अंश स्थित ग्राम रमुवापुर कालिका सिंह, परगना कोण्डरी उत्तरी, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर है, जो कि सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में शपथी के पिता गुरुदीन के नाम बतौर भूमिधर स्वामी दर्ज है। शपथी के पिता अपने चारों पुत्री को एक समान मानते व प्यार स्नेह करते थे। सभी को अपने संयुक्त हिन्दू परिवार में रखे हुए थे। इसी संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा अर्जित धन से लगभग 10 बीघा कृषि माता राजकुमारी के नाम खरीदी गयी थी। बाद में प्रतिवादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ससुराल वाले प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उनकी पत्नियों को संयुक्त परिवार के विरुद्ध बहकाने लगे जिससे विवश होकर वादी के पिता ने अपनी कुल सम्पत्ति के सहित माता राजकुमारी के नाम वाली उक्त 10 बीघा जमीन को आपसी विभाजन द्वारा 5 बराबर-बराबर भागों में बाँट कर एक एक अंश चारों पुत्री को दे दिया और एक अंश अपने व माता राजकुमारी के जीवन निर्वाह हेतु इस शर्त के साथ ले लिया था कि उन दोनों लोगों के मरने के बाद उनका 1/5 अंश उनके चारों पुत्र बराबर-बराबर पुनः बाँट लेंगे। यादशत के लिए उक्त आपसी विभाजन को पिता गुरुदीन ने रुबरु गवाहन दिनाँक 11.05.2010 को लिखवा कर उसपर अपने व अपनी पत्नी राजकुमारी के अंगूठे भी लगवा दिये थे। शपथी के पिता गुरुदीन एक अनपढ़ व सीधे साधे व्यक्ति थे और अपनी बीमारी व वृद्धावस्था के कारण सन् 2010 के बाद से शारीरिक एवं मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ हो गये थे जिससे उनके सोचने समझने व अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रह गया था, जिसका अनुचित लाभ लेते हुए प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने छल कपट व धोखा धड़ी के साथ पिता गुरुदीन की 5 बीघा भूमि का बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पत्नियों बिरजाना आदि के नाम करवा लिया था जिसके निरस्तीकरण का वाद एवं उक्त

विभाजन से सम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त बैनामा निरस्तीकरण वाद में सही स्थिति न्यायालय के समुख लाने हेतु पिता गुरुदीन को उनकी मौखिक परीक्षा किये जाने हेतु तबली का एक प्रार्थना पत्र दिनाँक 19.10.2019 को वादी ने दिया था, जिस पर यदि पिता गुरुदीन तलब हो जाते तो प्रतिवादीगण के छलकपट व धोखा धड़ी का पर्दाफाश हो जाता जिससे बचने केलिए प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की पत्नियों एवं पुत्रों ने अपने सभी कथित डॉक्टर नरेन्द्र शुक्ल निवासी किशोरगंज से मिली भगत कर पिता गुरुदीन को जहरीली दवा देकर मार दिया। सुबह पता चलने पर वादी ने जाकर देखा पिता के मृत शरीर पर चेहरे पर चोटों के कई निशान थे और उनका गला सूजा हुआ था जिसके सम्बन्ध में शपथी ने थानाध्यक्ष रेउसा व तमाम उच्च अधिकारियों को अनेकों प्रार्थना पत्र दिये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और प्रतिवादीगण ने तत्कार ही लाश को जलाकर प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य मिटा दिया इन सबसे क्षुब्ध होकर वादी ने प्रकरण से सम्बन्धित रिपोर्ट लिखवाने हेतु सक्षम न्यायालय में धारा 156(3) जा० फौ० का प्रार्थना पत्र दिनाँक 04.01.2020 को दिया था जो विचाराधीन है। उपरोक्तानुसार पिता गुरुदीन की हत्या हो जाने के बाद उनको कृषि भूमि से सम्बन्धित नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसील में दिया था जिसमें दिनाँक 04.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रश्नगत वसीयत सहित मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब प्रार्थी/शपथी को प्रश्नगत वसीयत की प्रथम बार जानकारी हुयी तब शपथी ने वसीयत की प्रमाणित प्रति निकलवायी जिससे शपथी को पूर्ण रूप से पता चला कि पिता गुरुदीन ने अनपढ़ होने व वृद्धावस्था व बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का अनुचित लाभ लेते हुए छल कपट व धोखा धड़ी कर पिता की इच्छा व जानकारी के बगैर ही शपथी की हकतलफी करने की नियत से प्रतिवादीगण ने साजिशन प्रश्नगत वसीयत करायी है और उसे दिनाँक 04.12.2019 तक छिपाये रखा और अब उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण वादीय भूमि के उपरोक्त 1/5 अंश से मुझ शपथी को बलात बेदखल कर अपना जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं जिसे रोकवाने के लिए प्रार्थी सम्बन्धित प्रार्थऩा पत्र दे रहा है जोक कि स्वीकार होने योग्य है। प्रथम दृष्टया वाद वादी का सिद्ध है, सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और विपरीत परिस्थितियों में मुझ शपथी को ही अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः शपथ पत्र में वर्णित वादीय भूमि का विभाजन कर पिता गुरुदीन द्वारा सन् 2010 में दिये गये 1/5 अंश पर प्रार्थी के कब्जे मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप व अवरोध करने से अथवा प्रार्थी को बलात बेदखल कर अपना कब्जा करने से प्रतिवादीगण को दौरान मुकदमा निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी के प्रार्थना पत्र के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति कागज संख्या 31ग[2] प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी का वाद एवं उनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा०दी० निराधार, तथ्यहीन व अवैधानिक है। वादी का वाद प्रथम दृष्टया सुदृढ़ नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। वादी की किसी भी भांति कोई अपूर्णीय क्षति की सम्भावना नहीं है। वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा० दी० निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग[2] के निस्तारण हेतु निम्नलिखित 3 बिन्दुओं पर विचार करना जरुरी है।

1- प्रथम दृष्टया मामला।

2- सुविधा का संतुलन।

3- अपूर्णीय क्षति।

प्रथम दृष्टया मामलाः- पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा वाद वसीयत दिनांकित 31.05.2013 के निरस्तीकरण की डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीय भूमि का बटवारा कर पिता गुरुदीन द्वारा वादी के दिये गये 1/5 अंश पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप व बेदखल करने से प्रतिवादीगण को निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 11ग[1] वसीयतनामा छायाप्रति है तथा प्रस्तुत अभिलेख छायाप्रति होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 तथा 65 के प्रकाश में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 12ग1 लगायत 18ग1 प्रस्तुत सभी खतौनियों में वादी बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 19ग[1], 20ग[1], कागज संख्या 37ग[1]/3 लगायत 37ग[1]/13, कागज संख्या 44ग[1], 45ग[1], 46ग[1], 47ग[1], 48ग[1]/3, 48ग[1]/4, 49ग[1] व 50ग[1] कागज संख्या 58ग[1]/1 लगायत 58ग[1]/15 तथा कागज संख्या 60ग[1]/1 लगायत 60ग[1]/11 छायाप्रति है तथा प्रस्तुत अभिलेख छायाप्रति होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 तथा 65 के प्रकाश में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 48ग1/2 सत्यापित प्रति है। प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से कागज की प्रकृति के सम्बन्ध में कोई विवरण दर्शित नहीं होता है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 52ग[1]/1 लगायत 52ग[1]/4 तथा कागज संख्या 62ग[1]/1 लगायत 62ग[1]/5 छायाप्रति है तथा प्रस्तुत अभिलेख छायाप्रति होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 तथा 65 के प्रकाश में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। उपरोक्त सभी दस्तावेजीय साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित है कि वादी द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादीय भूमि का बटवारा कर पिता गुरुदीन द्वारा वादी को $^1/_5$ हिस्सा दिया हो। अतः वादी प्रथम दृष्टया वाद अपने पक्ष में दर्शित करने में असफल रहा है।

सुविधा का संतुलनः- वादी प्रथम दृष्टया वाद अपने पक्ष में दर्शित करने में असफल रहे हैं, अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है।

अपूर्णीय क्षतिः- वादी प्रथम दृष्टया अपना वाद अपने पक्ष में दर्शित करने में असफल रहे हैं तथा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है। वादी यह दर्शित करने में असफल रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त न होने पर अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के आलोक में वादी प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान करने के आधार पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग[2] मय शपथ पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति कागज संख्या 31ग[2] निस्तारित की जाती है। पत्रावली दिनाँक 25.09.2023 को वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो।

दिनाँक 10.08.2023

(सुभाष)
सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ-सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2023.08.10 16:41:33 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan